न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 41/2026 बउनवानी हेमराज मीना बनाम अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पुत्र दयाराम मीना निवासी रावंल तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/56

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
25.3.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 24.12.2025. को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " ग्राम रावंल मे स्थित सरकारी भूमि ख0न0 120,1273/3929,1271/3930,1271, 1273/4090 पर अतिकमण हटाने के लिए सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों /शिकायतो का विवरण, की गयी जॉच रिपोर्ट सहित अन्य बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना " अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/एफ.13(01)(191)सूकाअ/2025/322 दिनांक 16.3.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.2025 मे चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग से प्राप्त की जाकर कुल दो पृष्ठो की अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.(1)(191)सूकाअ/2025/12 दिनांक 5.1.2026 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना कुल दो पृष्ठो की प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग से मगवायी जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 12 दिनांक 05.01.2026 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner